Institutional Teacher Training Policy -2021

MOVING TOWARDS BLENDED MODEL OF TEACHING-LEARNING

Adopted as per the Teacher Training Policy-2021 of Department of Higher Education, Govt. of M.P. under Output Indicator -6 of "Atmanirbhar Madhya Pradesh"

INTERNAL QUALITY ASSURANCE CELL

GOVT. HOLKAR (MODEL AUTONOMOUS) SCIENCE COLLEGE, INDORE

SURESH T SILAWAT
Digitally signed by SURESH T SILAWAT
Date: 2023.08.12 00:58:24 +05'30'

मध्य प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

शिक्षक प्रशिक्षण नीति

(आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश अभियान के अंतर्गत)

Output Indicator-6: Finalizing a State Policy for Teachers' Training Blended Model for Teachers training; Creating an AI based Training calendar for Professional Life Cycle of Teacher

1. प्रस्तावना

आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत शैक्षणिक स्टाफ (प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक) के साथ-साथ ग्रंथपाल तथा क्रीड़ा अधिकारी को अध्ययन, अध्यापन, निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन एवं शोध में उत्तरोत्तर रूप से प्रभावी बनाने हेतु सतत रूप से विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की योजना है | यह प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थी की क्षमता एवं दक्षता में निरंतर विकास का कार्य करेंगे जिससे प्रदेश की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी जो विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने, उनके लिए रोजगार प्राप्ति में सहायक एवं अंततोगत्वा प्रदेश तथा देश को आत्मनिर्भरता की ओर बढाने में सहायक सिद्ध होगी | यह नीति प्रदेश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में बेहतर शैक्षणिक वातावरण के निर्माण एवं उनकी गुणवत्ता वृद्धि में भी सहायक सिद्ध होगी |

वास्तव में एक अच्छा शिक्षक अच्छा विद्यार्थी भी होता है एवं शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है | आवश्यकता के आकलन के आधार पर प्रदान किये जाने वाले प्रशिक्षण नए शिक्षकों को उनके सामने दिन-प्रतिदिन आने वाली चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक करना सिखाते हैं एवं उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं | शोध एवं विभिन्न अध्ययनों से यह सिद्ध होता है कि जब शिक्षक कक्षा के संसाधनों के प्रबंधन में विशेषज्ञ होते हैं तब विद्यार्थी भी अध्ययन में अधिक रूचि प्रदर्शित करते हैं जो अंततोगत्वा शिक्षा के बेहतर प्रतिफल सुनिश्चित करती है |

बहुधा यह देखा जाता है कि विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं जिसका लाभ प्राध्यापकों द्वारा लिया जाता है | ऐसे प्रशिक्षण तात्कालिक रूप से उपयोगी सिद्ध होते हैं परन्तु इनमें व्यक्तिविशेष का चयन किसी सुनिर्धारित प्रक्रिया से न होकर उनकी उपलब्धतता एवं संस्था प्रमुख की इच्छानुसार होता है | इस प्रशिक्षण नीति के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं उनकी संस्थाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से निर्मित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे | यह ध्यान रखा जाएगा कि शिक्षकों को प्रत्येक क्षेत्र से सम्बंधित प्रशिक्षण उपलब्ध हो सकें जिससे वे अपने शैक्षणिक दायित्वों के साथ ही महाविद्यालय से सम्बंधित अन्य सह-शैक्षणिक एवं प्रशासनिक दायित्वों का भी निर्वहन सफलतापूर्वक एवं विशेषज्ञता के साथ कर सकें| यह नीति शिक्षकों के पदोन्नति एवं करियर एडवांसमेंट हेतु सहायता प्रदान करेगी एवं इसके साथ यह शिक्षण के अतिरिक्त अन्य दायित्वों के निर्वहन हेतु भी उनकी सहायता करेगी |

प्रशिक्षणों की योजना के निर्माण के समय निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाना उचित होगा :

1. प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक आकलन
2. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु का निर्धारण
3. स्थानीय संसाधनों के उपयोग से विकेन्द्रित प्रशिक्षणों का आयोजन
4. 'वोकल फॉर लोकल' की अवधारणा का समावेश
5. क्रय एवं उपार्जन सम्बन्धी प्रक्रियाएं (स्वदेशी को प्राथमिकता)
6. संस्था के संसाधनों के उपयोग से राजस्व सृजन
7. आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग
8. विद्यार्थियों एवं समाज की सहायता से स्वदेशी एवं आत्म-निर्भरता की अवधारणा का प्रचार-प्रसार
9. आत्म-निर्भरता हेतु शोध को प्राथमिकता एवं प्रोत्साहन
10. दक्षता पर आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना
11. प्रशिक्षण की विभिन्न विधाओं (ऑनलाइन, ऑफलाइन, ब्लेंडेड आदि) का समावेश
12. नैतिक मूल्यों का समावेश

2. प्रशिक्षण के क्षेत्र

आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण नीति से निश्चित ही उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत् शैक्षणिक स्टाफ शैक्षणेत्तर कौशल प्रबंधन द्वारा एक ओर तो व्यावसायिक रूप से समुन्नत होंगे तथा साथ ही प्राप्त कौशल ज्ञान से विधार्थियों को भी बेहतर मार्गदर्शन दे सकेंगे जो अन्ततोगत्वा प्रशिक्षण के माध्यम से संभव है|

इस नीति के तहत आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अन्य समकक्ष संस्थानों द्वारा आवश्यक निर्धारित किये गए प्रशिक्षणों को प्रतिस्थापित नहीं करेंगे | राज्य शासन द्वारा सुस्पष्ट आवश्यकता आकलन के आधार पर निर्धारित अन्य विषयों पर प्रशिक्षण इस नीति के अंतर्गत आयोजित किये जायेंगे | प्रशिक्षण के क्षेत्र निर्धारित करते समय विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों के दायित्यों का सुस्पष्ट निर्धारण होना आवश्यक है | प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किये जा सकते हैं| मोटे तौर पर प्रशिक्षण 2 मुख्य घटकों यथा कक्षा में विषय के प्रस्तुतिकरण को बेहतर बनाना एवं प्रशासनिक क्षमताओं में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आयोजित किये जा सकते हैं | इस आधार पर निम्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण आयोजित किये जा सकते हैं :

2.1 नवीन शिक्षा पद्धति सम्बन्धी प्रशिक्षण

प्रादेशिक उच्च शिक्षा को शिक्षार्थी केन्द्रित बनाने के उद्देश्य से नवीन शिक्षा पद्धतियों यथा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ऑनलाइन कक्षाओं एवं वेबिनार का आयोजन, पाठ्यक्रम की

विषयवस्तु को सतत रूप से अद्यतन किया जाना, मल्टीपल एग्जिट आप्शन वाली पाठ्यक्रम पद्धति, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का लागू किया जाना जैसी अन्य विभिन्न नवीन शिक्षा पद्धतियों पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं। समय-समय पर प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरने वाली समयानुकूल एवं नवीन शिक्षा पद्धतियों को आत्मसात करने हेतु आयोजित ऐसे प्रशिक्षण निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा जगत को निरंतर अद्यतन रखते हुए वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

2.2 *शिक्षण एवं शोध सम्बन्धी प्रशिक्षण*

इस क्षेत्र में नवीन एवं ICT आधारित शिक्षण तकनीकों, शोध प्राविधियों, शोध परियोजनाओं को बनाने एवं उनके क्रियान्वयन, शोध पत्रों को लिखने की पद्धति, नवाचारों एवं स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर गहन प्रशिक्षण आयोजित किये जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षण शिक्षकों में मौलिक शोध की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देंगे। साथ ही उन्नत शोध प्राविधियों से सम्बंधित प्रशिक्षणों में अधिकाधिक शिक्षकों को नामांकित किया जाना उचित होगा। ऐसे प्रशिक्षणों में सहभागिता के पश्चात शिक्षकों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले शोध पत्र ख्यातिलब्ध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध-पत्रिकाओं में प्रकाशित किये जा सकते हैं जिनका अधिभार शिक्षकों के करियर एडवांसमेंट हेतु दिया जा सकता है। इन प्रशिक्षणों से उच्च शिक्षा जगत में नवोन्मेषी विचारों के पल्लवन, उद्यमिता को प्रोत्साहन एवं नवीन तकनीकों के निर्माण का वातावरण निर्मित हो सकेगा जो देश एवं प्रदेश को आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।

2.3 *प्रशासनिक दक्षता सम्बन्धी प्रशिक्षण*

उच्च शिक्षा में शिक्षकों के सेवाकाल में अध्ययन-अध्यापन के अतिरिक्त भी अन्य अनेक उत्तरदायित्व होते हैं जिनका निर्धारित समय-सीमा में सफलतापूर्वक निर्वहन किया जाना आवश्यक होता है। इस कारण से शिक्षकों में शासन-प्रशासन सम्बन्धी अनेक क्षेत्रों की समझ एवं प्रक्रिया की जानकारी आवश्यक होती है। कतिपय उदाहरणों में देखा गया है कि प्रशासनिक कार्यों की जानकारी के अभाव में शिक्षकों को अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ता है।

इस वर्ग में सिविल सेवा आचरण नियम, सूचना का अधिकार, सेवा एवं अवकाश के नियम, विभिन्न छात्रवृत्तियों, खाता एवं अंकेक्षण प्रक्रिया, कैशबुक का संधारण, न्यायालयीन प्रकरणों में कार्यवाही, आदि जैसे विभिन्न प्रशासनिक विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित किये जा सकते हैं।

2.4 *सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) संबधी प्रशिक्षण*

अध्ययन-अध्यापन, वेबिनार, ऑनलाइन कक्षाएं, ऑनलाइन टेस्ट, प्रायोगिक कार्य, महाविद्यालय से सम्बंधित खाते, अंकेक्षण, सामान्य प्रशासन, वेतन एवं अन्य भत्तों के सॉफ्टवेयर के द्वारा भुगतान जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं जिनमें उच्च शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

का उपयोग सर्वविदित है | यह देखा गया है कि अनेक शिक्षक सामान्य रूप से प्रचलित एवं बहुपयोगी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का भी उपयोग नहीं करते हैं| परम्परागत तरीकों से कार्य सम्पादन के साथ-साथ यदि आधुनिक डिजिटल तकनीकों का भी उपयोग किया जाए तो यह शिक्षकों को और अधिक प्रभावी एवं उपयोगी बना सकता है|

2.5 *भण्डार क्रय एवं उपार्जन संबंधी प्रशिक्षण*

शिक्षकों के सेवाकाल में कभी-न-कभी उन्हें विभाग अथवा महाविद्यालय हेतु क्रय अथवा उपार्जन प्रक्रिया में भागीदार बनना आवश्यक होता है | भण्डार क्रय एवं उपार्जन के नियमों अथवा क्रय प्रक्रियाओं की पूर्ण जानकारी न होने से शिक्षकों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है | इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्रय एवं उपार्जन संबधी प्रशिक्षणों को नियमित आयोजित किया जाना आवश्यक है | GeM/ई-टेंडरिंग अथवा अन्य माध्यमों से क्रय सम्बन्धी प्रशिक्षण इन प्रक्रियाओं के विशेषज्ञों के माध्यम से आयोजित किये जाने उचित होंगे |

2.6 *शासकीय प्रक्रियाओं सम्बन्धी प्रशिक्षण*

विभिन्न शासकीय प्रक्रियाओं यथा सेवा शर्तें, अवकाश के नियम, न्यायालयीन प्रकरणों के सम्बन्ध में कार्यवाही, RTI, विधानसभा प्रश्नों पर कार्यवाही जैसे अनेक अन्य विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान कर शिक्षकों की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है | समय-समय पर संचालनालय द्वारा आवश्यकतानुसार इस क्षेत्र में विषयों को चिन्हित कर प्रशिक्षण आयोजित किये जा सकते हैं | NAAC, IQAC तथा NIRF सम्बन्धी प्रशिक्षण भी प्रमुखता से आयोजित किये जा सकते हैं |

2.7 *नैतिक मूल्य एवं व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण*

नैतिक मूल्यों का अंतर्ग्रहण, दक्षता निर्माण, धनात्मक दृष्टिकोण का निर्माण, स्वयं एवं विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास, तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन, टकराव प्रबंधन जैसे व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान कर शिक्षकों को विद्यार्थियों के हितार्थ अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने हेतु तैयार किया जा सकता है| ऐसे प्रशिक्षणों से शिक्षकों को ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, लालच, स्वार्थ, आदि जैसे आत्मघाती दुर्गुणों से बचने के उपायों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित किया जा सकता है |

2.8 *अन्य प्रशिक्षण (तात्कालिक एवं अन्य विशिष्ट आवश्यकतानुसार)*

तात्कालिक एवं आवश्यकतानुसार अन्य विशिष्ट विषयों पर विभाग द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किये जा सकते हैं |

3 प्रशिक्षण संस्थान

यद्यपि प्रशिक्षणों हेतु उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न अनुकूल प्रशिक्षण संस्थाओं का चयन किया जा सकता है परन्तु प्रथमदृष्टया मुख्य रूप से प्रशिक्षण निम्न संस्थाओं में आयोजित किये जा सकते हैं या इनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है :

1. आर.सी.पी.वी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल
2. राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (NITTTR), भोपाल
3. नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (NIEPA)
4. अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल
5. मध्य प्रदेश उद्यमिता विकास केंद्र (CEDMAP), भोपाल
6. अकादमिक स्टाफ महाविद्यालय (ASC), जबलपुर
7. अकादमिक स्टाफ महाविद्यालय (ASC), इंदौर
8. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेण्टर (EMRC), इंदौर
9. अकादमिक स्टाफ कॉलेज ऑफ़ इंडिया (ASCI), हैदराबाद
10. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट (IIM), इंदौर
11. मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (MANIT), भोपाल
12. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ साइंस (IISc), बैंगलोर
13. नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज (NIRDPR), हैदराबाद
14. इंस्टिट्यूट ऑफ़ रूरल मैनेजमेंट (IRM), आणंद
15. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ फारेस्ट मैनेजमेंट (IIFM), भोपाल
16. स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ हेल्थ मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन (SIHMC), ग्वालियर
17. महात्मा गाँधी स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट, जबलपुर
18. प्रदेश में स्थानीय स्तर पर अन्य विभागों के प्रशिक्षण संस्थान

इनके अतिरिक्त उच्च गुणवत्ता स्तर की अन्य प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय सस्थाओं का भी चयन किया जा सकता है| ऐसी संस्थाओं की सहायता से प्रशिक्षण आयोजित किये जाने के साथ-साथ इनमें शिक्षकों के भ्रमण (Visits) भी आयोजित किये जा सकते हैं जिसके लिए विभाग एवं प्रशिक्षणार्थियों से 50-50 % के अनुपात से व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकती है |

उच्च शिक्षा विभाग के प्रशिक्षण सतत रूप से चलते रहें इसके लिए एक राज्य स्तरीय उच्च शिक्षा प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान को स्थापित किया जाना उचित होगा | ऐसे संस्थान की स्थापना से प्रशिक्षण के नित

नवीन क्षेत्रों की खोज, प्रशिक्षण पद्धतियों एवं उनके प्रतिफल पर शोध के साथ अबाध रूप से विभागीय शैक्षणिक के साथ-साथ अशैक्षणिक स्टाफ के प्रशिक्षण भी आयोजित किये जा सकेंगे |

4 प्रशिक्षण के स्तर

शिक्षकों के सम्पूर्ण सेवा-काल को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण विभिन्न स्तरों पर आयोजित किये जा सकते हैं| शिक्षकों द्वारा उनके सम्पूर्ण सेवाकाल में इन समस्त स्तरों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया जाना आवश्यक होगा| प्रशिक्षण के स्तर निम्नानुसार हो सकते हैं:

4.1 अग्रणी महाविद्यालय स्तर पर

अग्रणी महाविद्यालय स्तर पर आवश्यकतानुसार संस्था के अथवा अन्य विशेषज्ञों की सहायता से विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किये जा सकते हैं | इस प्रकार के प्रशिक्षण की अवधि 5 घंटे प्रति कार्यदिवस से कम न हो | यह प्रशिक्षण एक दिवसीय, 2 दिवसीय अथवा साप्ताहिक हो सकते हैं | अग्रणी महाविद्यालय के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले महाविद्यालयों के शिक्षक इस प्रकार के प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं | प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों को प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने एवं उनसे फीडबैक लिया जाना आवश्यक है | इस प्रकार आयोजित किये गए समस्त प्रशिक्षणों का विस्तृत विवरण संस्था में रखा जाना अनिवार्य होगा | प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यय की प्रतिपूर्ति आयोजक संस्था द्वारा स्वयं के स्रोतों से की जानी होगी | आवश्यकता पड़ने पर संस्था द्वारा वित्तीय सहायता हेतु संचालनालय को भी आवेदन किया जा सकता है |

4.2 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक स्तर पर

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक स्तर पर आवश्यकतानुसार शासकीय संस्थाओं के अथवा अन्य विशेषज्ञों की सहायता से विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किये जा सकते हैं | प्रशिक्षण क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय के प्रभाव क्षेत्र के किसी महाविद्यालय अथवा शासकीय नियमानुसार किसी अन्य संस्था में आयोजित किये जा सकते हैं | इस प्रकार के प्रशिक्षण की अवधि 5 घंटे प्रति कार्यदिवस से कम न हो | यह प्रशिक्षण एक दिवसीय, 2 दिवसीय अथवा साप्ताहिक हो सकते हैं | क्षेत्रीय संचालक कार्यालय के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले महाविद्यालयों के शिक्षक इस प्रकार के प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं | प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों को प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने एवं उनसे फीडबैक लिया जाना आवश्यक है | इस प्रकार आयोजित किये गए समस्त प्रशिक्षणों का विस्तृत विवरण संस्था में रखा जाना अनिवार्य होगा | प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यय की प्रतिपूर्ति आयोजनकर्ता संस्था / महाविद्यालय द्वारा स्वयं के स्रोतों से की जानी होगी | आवश्यकता पड़ने पर संस्था द्वारा वित्तीय सहायता हेतु संचालनालय को भी आवेदन किया जा सकता है |

4.3 संचालनालय स्तर पर

संचालनालय स्तर पर प्रदेश से चुने गए शिक्षकों हेतु विभिन्न प्रशिक्षण भिन्न-भिन्न आकार के समूहों हेतु आयोजित किये जा सकते हैं| तात्कालिक रूप से प्रचलित परियोजनाओं यथा रूसा, MPHEQIP (विश्व बैंक से सहायता प्राप्त) से कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं | गुणवत्तापूर्ण संस्थाओं के भ्रमण (Visits) भी इस स्तर से आयोजित किये जा सकते हैं | इस क्षेत्र में सततता बनाए रखने हेतु उच्च शिक्षा विभाग के सालाना बजट में इस कार्य हेतु राशि का प्रावधान किया जाना उचित होगा |

5 संचालनालय स्तर पर प्रशिक्षण प्रकोष्ठ का गठन

उच्च शिक्षा विभाग हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के आकलन, प्रशिक्षण कैलेंडर के निर्माण, प्रशिक्षणों के सतत आयोजन एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी अन्य समस्त कार्यों की देख-रेख संचालनालय स्तर पर की जाना आवश्यक होगी | इस कार्य हेतु उच्च शिक्षा विभाग के 'राज्य स्तरीय प्रशिक्षण प्रकोष्ठ' का गठन किया जाना उचित होगा | इस प्रकोष्ठ में विभाग के प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदस्थ किया जा सकता है |

6 प्रशिक्षण हेतु बजट का आवंटन

संचालनालय स्तर से प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के आकलन, उनके आयोजन एवं प्रशिक्षणों की देख-रेख जैसे समस्त कार्यों के गुणवत्तापूर्वक सम्पादन हेतु बजट का आवंटन किया जाना उचित होगा| संचालनालय स्तर पर बजट उपलब्ध होने से आवश्यकतानुसार विभिन्न स्तरों यथा महाविद्यालय, अग्रणी महाविद्यालय, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक स्तर अथवा आवश्यकतानुसार अन्य स्तरों पर प्रशिक्षण के आयोजन हेतु बजट उपलब्ध करवाया जा सकता है | आदर्श रूप से जिन संवर्गों हेतु प्रशिक्षण आयोजित किये जाने हैं उसके समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक वेतन के 1.5 से 2.5 % (लगभग 10 - 25 करोड़ रुपये) तक की राशि का वार्षिक आवंटन किया जाना उचित होगा |

7 प्रशिक्षण हेतु चयन के मापदंड

प्रशिक्षण हेतु संस्था से नामांकन करते समय संस्था प्रमुख का दायित्व होगा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि संस्था के समस्त शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु समान अवसर उपलब्ध हों | शिक्षकों का चयन मुख्य रूप से निम्न मापदंडों के आधार पर किया जा सकता है:

i. प्रत्येक शिक्षक के ऑनलाइन रिकॉर्ड में उसके द्वारा लिए गए प्रशिक्षणों को इन्द्राज किया जाना आवश्यक होगा | यह कार्य ई.आर. शीट को अद्यतन (अपडेट) करते समय किया जा सकता है | इस प्रकार समस्त शैक्षणिक स्टाफ द्वारा उनके सेवाकाल में लिए गए प्रशिक्षणों का लेखा-जोखा रखा जाना संभव हो सकेगा |

ii. किसी भी अधिकारी द्वारा पूर्व में प्राप्त किये गए प्रशिक्षणों के आधार पर संस्था की आवश्यकतानुसार उन्हें उत्तरदायित्व दिया जाना उचित होगा | यदि किसी संस्था में किसी क्षेत्र

विशेष में प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता / कमी हो तो संस्था प्रमुख द्वारा भविष्य में इन क्षेत्रों के अंतर्गत आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों में शिक्षकों को नामांकित किया जाना चाहिए।

iii. प्रशिक्षण बुनियादी (बेसिक) एवं उन्नत (एडवांस्ड) स्तर पर आयोजित किये जाने चाहिए। किसी शिक्षक ने यदि किसी विषय पर बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है तो उसी विषय में उसे पुनः बुनियादी प्रशिक्षण हेतु नामांकित नहीं किया जाना चाहिए। उस विषय में भविष्य में आयोजित होने वाले उन्नत प्रशिक्षण हेतु बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को वरीयता दिया जाना उचित होगा।

iv. प्रत्येक स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों हेतु सत्रारंभ में ही वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाना आवश्यक होगा जिससे शिक्षक अपनी रूचि एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण का चयन कर सकें।

v. संस्था प्रमुख द्वारा भी आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रशिक्षणों हेतु शिक्षकों का नामांकन किया जा सकता है।

vi. प्रादेशिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए संचालनालय स्तर पर आयोजित प्रशिक्षणों में प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों से शिक्षकों को नामांकित किया जा सकता है।

8. ध्यान में रखने योग्य बिंदु

8.1 समस्त संभावित प्रशिक्षणों हेतु वार्षिक स्तर पर कार्यक्रम (प्रशिक्षण कैलेंडर) निर्धारित किया जाना उचित होगा। कार्यक्रम में पाठ्यक्रम की संक्षिप्त विषयवस्तु, प्रशिक्षणार्थियों की संभावित संख्या एवं प्रशिक्षण स्थल की जानकारी उपलब्ध कराई जाना होगी। इस प्रकार के कैलेंडर के उपलब्ध होने से शिक्षक गण सत्रारंभ से ही वांछित प्रशिक्षण हेतु नामांकन करवा सकते हैं। आवश्यकता एवं उपलब्धतता के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जा सकता है।

8.2 विभागीय पोर्टल पर समस्त शिक्षकों द्वारा लिए गए प्रशिक्षणों का डाटा उपलब्ध होना चाहिए। इससे स्वचालित पद्धति (आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस) से भी विभिन्न प्रशिक्षणों हेतु शिक्षकों को नामित किया जा सकता है।

8.3 प्रत्येक सत्र में शिक्षकों से विभागीय पोर्टल पर अथवा गूगल फॉर्म के माध्यम से उनके वांछित प्रशिक्षणों एवं उनकी वांछित अवधि/विषयवस्तु की जानकारी प्राप्त करना उचित होगा। इस डाटा की उपलब्धतता से आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस के आधार पर विभिन्न प्रशिक्षणों का निर्धारण किया जा सकता है।

8.4 प्रशिक्षण हेतु मिश्रित (ब्लेंडेड) पद्धतियों यथा औपचारिक ऑफलाइन प्रशिक्षण, ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं व्याख्यान आधारित प्रशिक्षण, उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों का भ्रमण, फैकल्टी एक्सचेंज, टीम लर्निंग, आदि का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है। प्रशिक्षण पद्धति में विविधता से शिक्षकों में प्रशिक्षण को लेकर उत्साह बना रहेगा।

8.5 शिक्षकों द्वारा प्राप्त किये गए प्रशिक्षणों का रिकॉर्ड उनकी ई-सर्विस बुक तथा ई. आर. शीट में भी रखा जाना आवश्यक है। इससे विभिन्न प्रशिक्षणों हेतु नामांकन करने हेतु संस्था प्रमुख / उच्च अधिकारियों को सहायता प्राप्त हो सकती है।

8.6 प्रत्येक शिक्षक हेतु प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 2 प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना अनिवार्य किया जा सकता है। ये 2 प्रशिक्षण किसी भी स्तर के हो सकते हैं।

8.7 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग एवं उनमें प्रदान की गयी विषयवस्तु अन्य शिक्षकों के लाभार्थ पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाना उचित होगा।

8.8 कौशल उन्नयन एवं विकास हेतु प्रशिक्षण सतत रूप से आयोजित किये जाने उचित होंगे।

8.9 उच्च शिक्षा विभाग के प्रशिक्षण सतत रूप से चलते रहें इसके लिए एक राज्य स्तरीय उच्च शिक्षा प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान को स्थापित किया जाना उचित होगा। इस संस्थान हेतु आवश्यक आधारिक संरचना तथा स्टाफ की उपलब्धतता उच्च शिक्षा विभाग दारा राज्य शासन की सहायता से सुनिश्चित की जा सकती है।

8.10 प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले स्टाफ की कार्यकुशलता में वृद्धि का परीक्षण भी परोक्ष एवं अपरोक्ष विधियों से किया जाना आवश्यक है। इसकी प्रतिपुष्टि के आधार पर प्रशिक्षणों को और अधिक प्रभावी बनाया जाना संभव हो सकेगा।

8.11 प्रशिक्षण कार्यक्रम को आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस के आधार पर निर्धारित करने हेतु उच्च शिक्षा से सम्बंधित समस्त घटकों, स्टाफ द्वारा प्राप्त किये गए प्रशिक्षणों, विभिन्न स्तरों पर एवं विभिन्न तरीकों से उनकी प्रतिपुष्टि जैसे बिन्दुओं पर आधारित वृहत डेटाबेस का होना आवश्यक होगा।

8.12 प्रशिक्षण के प्रतिफल के मापदंड स्टाफ की कार्यकुशलता में वृद्धि, बेहतर अध्ययन, अध्यापन एवं मूल्यांकन हेतु स्वस्थ वातावरण का निर्माण, विद्यार्थियों के ज्ञान स्तर एवं नियोजन क्षमता में वृद्धि, तथा स्व-रोजगार हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध कराई जाना हो सकते हैं।

8.13 प्रशिक्षण परिणाममूलक होने चाहिए; अर्थात प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों के कार्य निष्पादन में धनात्मक प्रभाव परिलक्षित होने चाहिए।

8.14 प्रशिक्षणों में अन्य विषयों के साथ कौशल विकास एवं धनात्मक मनोवृत्ति निर्माण को भी समाहित किया जाना उचित होगा।

8.15 महाविद्यालयों में कार्यरत समस्त संवर्गों की प्रशिक्षण व्यवस्था पृथक होनी चाहिए; अर्थात विभिन्न संवर्गों हेतु पृथक पृथक प्रशिक्षण आयोजित किये जाने चाहिए।

9. विशेष

प्रत्येक शिक्षक को अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में समस्त चयनित क्षेत्रों का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना आवश्यक होना चाहिए। इस हेतु प्रशिक्षणों की श्रृंखला अनवरत चलती रहना एवं प्रत्येक शिक्षक को इसमें सहभागिता करना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उच्च शिक्षा विभाग के प्रत्येक शिक्षक को इस प्रशिक्षण नीति का लाभ मिल सके। प्रशिक्षण के क्षेत्रों के संबंध में नवीन शिक्षा पद्धति की जानकारी देने हेतु शिक्षा महाविद्यालयों के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है। भण्डार क्रय नियमों तथा उपार्जन संबंधी जानकारियों का प्रशिक्षण कोष एवं लेखा के अधिकारियों द्वारा दिया जा सकता है।

साथ ही, यूजीसी के पोर्टल, व्याख्यानों की जानकारी एवं विभिन्न एप्स की जानकारियाँ भी दी जा सकती है। प्रशिक्षण के विभिन्न स्तरों, यथा अग्रणी महाविद्यालय स्तर, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक स्तर एवं संचालनालय स्तर पर प्रशिक्षण की अर्द्धवार्षिक योजना के माध्यम से निरंतरता सुनिश्चित की जा सकती है। विभिन्न स्तरों पर विवेकानंद कैरियर गाइडेंस प्रकोष्ठों के माध्यम से भी प्रशिक्षण स्थानीय स्तर पर आयोजित किए जा सकते हैं। प्रशिक्षण के प्रस्तावित मापदण्डों के अतिरिक्त यह भी ध्यान रखा जाना उचित होगा कि जिन प्राध्यापकों के सेवाकाल की दीर्घावधि है, उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाए। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान पर भी विचार किया जा सकता है। प्रदेश की क्षेत्रीय समस्याओं; उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग एवं अवसरों की पहचान कर प्रशिक्षणों के आयोजन किये जाने से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की संकल्पना का बेहतर पोषण संभव हो सकेगा |

10. उपसंहार

यह शिक्षक प्रशिक्षण नीति मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षक समुदाय, ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित की गयी है| आशा है कि चिन्हित क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् प्रदेश में बेहतर उच्च शिक्षा प्रदान की जा सकेगी जिससे विद्यार्थी एवं अन्य हितग्राही लाभान्वित हो सकेंगे| बेहतर शिक्षण तकनीकों के प्रयोग एवं आधुनिकतम शिक्षण प्रणालियों के उपयोग से विद्यार्थी विषयों का ज्ञान अपेक्षाकृत अच्छे तरीकों से प्राप्त करते हुए भविष्य की जिम्मेदारियों एवं रोजगार हेतु और अधिक अच्छी तरह से तैयार हो सकेंगे| प्रशिक्षणों से शिक्षकों एवं विद्यार्थियों हेतु अपने सम्बंधित विषय के बेहतर ज्ञान कौशल विकास के नित-नवीन अवसर उपलब्ध हो सकेंगे जिससे प्रदेश चहुंमुखी प्रगति करते हुए सतत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता रहेगा | यह भी आशा है कि इन प्रशिक्षणों के फलस्वरूप उत्तम शिक्षा प्रदान किये जाने से प्रदेश सम्पूर्ण देश में एवं वैश्विक स्तर पर अपनी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सक्षम हो सकेगा |